राजस्थान सरकार
शिक्षा(ग्रुप–1)विभाग

क्रमांक प. 14(4)शिक्षा–1/चूरू/2014पार्ट

जयपुर, दिनांक 21-06-2016

:: आदेश ::

शिक्षा विभाग के अधीन संचालित कक्षा 6 से 10/12 के विद्यालयों में उनके आस–पास उसी स्थान पर संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को समन्वित कर कक्षा 1 से 10/12 के, समन्वित (एकीकृत) विद्यालयों की स्थापना की गयी। जिन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध था एवं कक्षा 1 से 5/8 के विद्यार्थियों के लिये इन परिसरों में अध्ययन हेतु आना सुविधाजनक था, उन विद्यालयों में कक्षा 1 से 10/12 तक की समस्त कक्षाओं का संचालन एक ही परिसर में किया जा रहा है तथा अन्य समन्वित विद्यालयों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन पृथक–पृथक भवनों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जा रहा है। परन्तु दोनों ही मामलों में समन्वित (एकीकृत) विद्यालय को एक ही प्रशासनिक इकाई मानते हुए संचालित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ हुए हैं :–

i. प्राथमिक कक्षाओं को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को समन्वित करने से इन कक्षाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का हो गया। जिसके फलस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं की बेहतर मॉनिटरिंग होने से विद्यार्थियों की शैक्षिणिक स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है।
ii. एकीकरण के फलस्वरूप इन विद्यालयों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में वर्ष 2015–16 में नामांकन में वृद्धि हुई है।
iii. प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण समन्वित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थाप्रधान के पास होने के फलस्वरूप शिक्षकों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक कार्य में भी सुधार हुआ है।

चूरू जिले के वर्तमान में संचालित कक्षा 6 से 10, 6 से 12 तथा 9 से 12 के विद्यालयों को कक्षा 1 से 10/12 के विद्यालय में परिवर्तित करने के लिये कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित विद्यालय में कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित विद्यालय को **समन्वित** करते हुए कक्षा 1 से 10/12 तक के समन्वित (एकीकृत) विद्यालय गठित करने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

जिला : चूरू

क. राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन

क्र0स0	पंचायत समिति/ नगरपालिका	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम/ वार्ड नं0	राउमावि/मावि (एकीकृत)	समन्वित विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1.	चूरु	लालासर बणीरोतान	लालासर बणीरोतान	रामावि लालासर बणीरोतान	राबाउप्रावि लालासर बणीरोतान
2	चूरु	दादर	राणासर	राउमावि राणासर	राबाउप्रावि राणासर
3	तारानगर	पण्डरेउ ताल	पण्डरेउ ताल	रामावि पण्डरेउ ताल (टिब्बा)	राउप्रावि पण्डरेउ ताल (टिब्बा)
4	राजगढ	राधाबडी	राधाबडी	राउमावि राधाबडी	राबाउप्रावि राधाबडी
5	राजगढ	ढाणी मौजी	जैतपुरा	राउमावि जैतपुरा	राबाउप्रावि जैतपुरा
6	राजगढ	नेशल	नेशल	राउमावि नेशल	राबाउप्रावि नेशल
7	सुजानगढ	कातर छोटी	कातर छोटी	रामावि कातर छोटी	राबाउप्रावि कातर छोटी
8	सुजानगढ	तेहनदेसर	तेहनदेसर	राउमावि तेहनदेसर	राबाउप्रावि तेहनदेसर
9	रतनगढ	परसनेउ	परसनेउ	रामावि परसनेउ	राबाउप्रावि नायक बस्ती
10	रतनगढ	सिमासिया बीदावतान	सिमासिया बीदावतान	रामावि सिमासिया बीदावतान	राबाउप्रावि सिमासिया बीदावतान
11	रतनगढ	नोसरिया	नोसरिया	रामावि नोसरिया	राबाउप्रावि नोसरिया
12	रतनगढ	भरपालसर	भरपालसर लाडखानियान	रामावि भरपालसर	राबाउप्रावि भरपालसर
13	रतनगढ	भरपालसर	आबडसर	रामावि आबडसर	राबाउप्रावि आबडसर
14	तारानगर	ढाणी कुम्हारान	ढाणी कुम्हारान	रामावि ढाणी कुम्हारान	राबाउप्रावि ढाणी कुम्हारान
15	राजगढ	कालरी	कालरी	राउमावि कालरी	राबाउप्रावि कालरी
16	राजगढ	नूहन्द	नूहन्द	राउमावि नूहन्द	राबाउप्रावि नूहन्द
17	रतनगढ	नोसरिया	नोसरिया	रामावि नोसरिया	राउप्रावि नोसरिया
18	सरदार शहर	भोजूसर उपा.	पातलीसर बडा	रामावि पातलीसर बडा	राबाउप्रावि पातलीसर बडा
19	सरदार शहर	बीकमसरा	बीकमसरा	रामावि बीकमसरा	राउप्रावि बालिका बीकमसरा
20	सरदार शहर	भादासर विखनादा	भादासर विखनादा	राउमावि भादासर विखनादा	राबाउप्रावि भादासर विखनादा
21	सरदार शहर	मेहरासर उपा.	मेहरासर उपा.	राउमावि मेहरासर उपा.	राबाउप्रावि मेहरासर उपा.

22	सरदार शहर	ढाणी पांचेरा	ढाणी पांचेरा	राउमावि ढाणी पांचेरा	राबाउप्रावि ढाणी पांचेरा
23	रतनगढ	कागड	कागड	रामावि कागड	राउप्रावि बालिका कागड
24	रतनगढ	मैणासर	मैणासर	राउमावि मैणासर	राउप्रावि बालिका मैणासर
25	रतनगढ	सीतसर	सीतसर	राउमावि सीतसर	राउप्रावि बालिका सीतसर
26	रतनगढ	लूंछ	लूंछ	राउमावि लूंछ	राबाउप्रावि लूंछ
27	रतनगढ	बीरमसर	बीरमसर	राउमावि बीरमसर	राउप्रावि बालिका बीरमसर
28	रतनगढ	जान्दवा	जान्दवा	राउमावि जान्दवा	राउप्रावि बालिका जान्दवा
29	रतनगढ	रतनसरा	सेहला	राउमावि रतनसरा	राबाउप्रावि सेहला
30	तारानगर	ढाणी कुम्हारान	ढाणी कुम्हारान	रामावि ढाणी कुम्हारान	राबाउप्रावि ढाणी कुम्हारान
31	राजगढ	कालरी	कालरी	राउमावि कालरी	राबाउप्रावि कालरी

उपरोक्तानुसार एकीकृत राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन निम्न दिशा–निर्देशों के अनुसार होगाः–

i. समाहित विद्यालय का पृथक से कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा एवं समन्वित(एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय (समाहित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों सहित) का प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन रहेगा।

ii. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक इन विद्यालयों के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों के लिये पूर्ण रूप से अधिकृत एवं उत्तरदायी होंगे।

iii. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में समाहित होने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समस्त परिसम्पतियां यथा भूमि, भवन, खेल मैदान, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, स्थायी एवं अस्थायी परिसम्पतियॉ, उपयोगी एवं अनुपयोगी सामग्री आदि का हस्तान्तरण समन्वित (एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में स्वतः ही हो जायेगा।

iv. एकीकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय की समस्त कक्षाएं (कक्षा 1 से 12 अथवा 1 से 10) यथा संभव एक ही भवन/परिसर में संचालित होंगी। यदि स्थान की अनुपलब्धता अथवा विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से समस्त कक्षाएं एक ही परिसर में संचालित किया जाना संभव न हो तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक से स्वीकृति प्राप्त कर कक्षाओं का संचालन पृथक–पृथक परिसरों में किया जा सकता है। परन्तु कक्षा 1 से 12/1 से 10 कक्षा के एकीकृत विद्यालय की प्रत्येक कक्षा केवल एक ही परिसर में संचालित होगी, अर्थात् एक कक्षा दो परिसरों में पृथक–पृथक संचालित नहीं होगी।

v. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में एकीकरण के उपरान्त कक्षा 1 से 12/1 से 10 संचालित होगी। यह व्यवस्था समान रूप से लागू होगी। उदाहरण के लिए अगर एकीकरण के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 के विद्यालय में 1 से 5 के विद्यालय को ही समाहित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी एकीकृत विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में प्रवेश की व्यवस्था करते हुए 1 से 12 कक्षाऐं संचालित होगी।

vi. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय यथासंभव एक पारी में संचालित होंगे विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कक्षा–कक्ष की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में माध्यमिक शिक्षा निदेशक से स्वीकृति प्राप्त की जाकर विद्यालय का संचालन दो पारियों में किया जा सकेगा।

vii. एकीकरण से पूर्व उच्च माध्यमिक/माध्यमिक तथा उनमें समाहित होने वाले उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय के नाम किसी दानदाता/शहीद सैनिक/स्वतंत्रता सेनानी आदि के नाम से होने की स्थिति में एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के नामकरण के संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र कमांक प. 11(40)शिक्षा–6/05/पार्ट दिनांक 11.2.2016 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

viii. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य सरकार के पत्र कमांक प. 22(6)शिक्षा–1/2002 दिनांक 30.4.2015 द्वारा जारी मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत विद्यालयों के पदों की संख्या का निर्धारण कर माध्यमिक शिक्षा में अतिरिक्त पदों के सृजन एवं प्रारम्भिक शिक्षा में समाहित किये गये विद्यालयों के स्वीकृत पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जावेगा। पदों के सृजन के पश्चात नवसृजित पदों को राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के उप नियम 6(D) के तहत भरे जाने की कार्यवाही की जावेगी।

ix. बिन्दु संख्या viii के अनुसार कार्यवाही सम्पादित होने तक समाहित किये गये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक एकीकृत विद्यालय में यथावत कार्य करते रहेंगे एवं उनके वेतन का आहरण पूर्वानुसार पंचायतीराज/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से होता रहेगा।

x. समस्त एकीकृत विद्यालयों का संचालन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्र कमांक शिविरा–माध्य/मा/अ–1/आदर्श बी/21312/वो–112014 दिनांक 12.2.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

xi. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद एवं निदेशक, राजस्थान माध्यगिक शिक्षा परिषद जयपुर